# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 54 / 2022

उनवान

1. ख्यालीराम पुत्र श्री हरसहाय जाति जाट निवासी आसपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

**प्रार्थी**

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 जयसिंह पुत्र घीसा
3 भगवानी पत्नि घीसा
जाति खारवाल निवासी आसपुरा तहसील शाहपुरा
4 बाबूलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति जाट निवासी आसपुरा
5 मोहिनी देवी पत्नि सीताराम लील,
6 सुन्दरी देवी पतिन बनवारीलाल जाति जाट .
जाति जाट निवासी लीलोकाबास तहसील विराटनगर

**अप्रार्थीगण**

**प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956**

**निर्णय दिनांकः 18.10.2022**

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 700 / 3 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 618 रकबा 0.02 है0,ख0न 684 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 690 रकबा 0.52 है0, ,ख0नं0 694 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 696 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम आसपुरा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक / सीमा / 2017 / 14 दिनांक 16.5.2017 की पालना में दिनांक 9.11.2017 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए । वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदम किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 9.11.2017 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार / काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत आराजी खसरा नम्बर 700 / 3 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 618 रकबा 0.02 है0,ख0न 684 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 690 रकबा 0.52 है0, ,ख0नं0 694 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 696 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम आसपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 9.11.2017 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।
निर्णय आज दिनांक **18.10.2022** को सरै इजलास सुनाया गया ।

उप (खण्ड अधिकारी)
उप खण्ड अधिकारी,